

6/ CMS-2021/17
 प्रायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:- 10 / 2021

तारीखरजू:- 11.1.21

उनवान:- रत्तीराम बनाम सरकार वगै०

दावा वावत घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा 88, 188 आर.टी.एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम
11.1.21	वादीया की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने दावा वावत घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा 88, 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 16.02.2021 को पेश हो। (दुर्गा प्रसाद मोना) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली
16.2.21	वादी वकील उपर/प्रतिवादी नं. 1, 2 का बजूद सूचना उपस्थित नहीं है उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी नं. 3 की ओर से श्री सुनील कुमार जिंदल Adv. ने ब्याजनामा पेश किया। जबकि पेश करने दि 30.3.21 को पेश हो।
30.3.21	वकूलाय उपर/ जबाब पेश करने दि 2.5.21 को पेश हो।
31.7.21	पत्रावली भाक डाउन के कारण जनरल पेशी से पेश हुई। वकूलाय उपर/ जबाब पेश करने दि 7.9.21 को पेश हो।
	पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक 2.12.21 को पेश हो। 8/12 वकूलाय उपरिथत/पीटासन अधिकारी से कार्य से बुराई पधारे हैं। गतानुसार दिनांक 13-1-22 को पेश हो।

148-50
 11-7-21



लय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

जाती

पत्रावली पेश हुई। वाडी एवं वाडी वकील
कोई उपस्थित नहीं बार-बार कावाज दिखाई
गई। इसके उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं।
इसलिए वाडी का कावा छोषणा खातेदारी एवं
इन्काज पुरुस्ती कदम टानिरी एवं कदम पैरवी
में खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल
शुभार टोकर नम्बर से कम टोकर दारिवल
दफ्तर है।

(सुनीता मीना)

न्यायालय उपखाण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुत्रा जिला